

मैनुअल संख्या: 3 [धारा 4(1)(ख)(iii)]

विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया, जिसमें पर्यवेक्षक और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित है

(1) निर्णय लेने की प्रक्रिया, निर्णय लेने के प्रमुख बिंदुओं की पहचान करना :-

उत्तराखण्ड विद्युत नियामक के समक्ष कार्यवाही आयोजित करने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 में निहित प्राविधानों के अर्न्तगत आयोग के कार्य संचालन, निर्णय लेने की प्रक्रिया, निर्णय लेने में के प्रमुख बिन्दुओं हेतु विनियम, अधिसूचित उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (कारोबार का संचालन) विनियम, 2014 [UERC (Conduct of Business) Regulations, 2014] के अध्याय-II में निर्दिष्ट है। यह विनियम आयोग की वेबसाइट www.uerc.uk.gov.in में उपलब्ध है। जिसमें आयोग के समक्ष दायर किये जाने वाले वादों की प्रक्रिया, निर्धारित प्रपत्रों इत्यादि का वर्णित किया गया है।

(2) अंतिम निर्णय लेने का अधिकार :-

उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग द्वारा किसी भी प्रकरण पर निर्णय लेने की प्रक्रिया को आयोग द्वारा अधिसूचित विनियम, उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (कारोबार का संचालन) विनियम, 2014 [UERC (Conduct of Business) Regulations, 2014] के अध्याय-II में निर्दिष्ट है। यह विनियम आयोग की वेबसाइट www.uerc.uk.gov.in में उपलब्ध है। आयोग के सामान्य प्रशासनिक एवं अन्य कार्यों के सम्पादन हेतु समय-समय पर मा0 आयोग अथवा सचिव द्वारा दिशा निर्देश निर्गत किये जाते हैं।

(3) संबंधित प्रावधान, अधिनियम, नियम आदि :-

इस हेतु सम्बन्धित प्रावधान विद्युत अधिनियम, 2003 की सुसंगत धाराओं में तथा आयोग द्वारा अधिसूचित विनियम, उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (कारोबार का संचालन) विनियम, 2014 [UERC (Conduct of Business) Regulations, 2014] में निर्दिष्ट किया गया है।

(4) निर्णय लेने की समय सीमा, यदि कोई हो :-

आयोग द्वारा किसी भी प्रकरण पर सुनवाई इत्यादि हेतु आयोग की वैबसाईट में प्रदर्शित की जाती है तथा वादों की प्रक्रिया के अनुरूप समाचार-पत्रों में भी जन-सूचना प्रकाशित की जाती है। जिसमें यदि आवश्यक हो तो जन-सुनवाई आयोजित कर, सभी स्टैकहोल्डर्स से उनके सुझाव/आपत्तियों पर आयोग द्वारा निर्णय लिया जाता है।

अधिनियम एवं आयोग द्वारा अधिसूचित विनियमों में कृत्यों के निर्वहन हेतु निम्न समय-सीमा निर्धारित की गयी है:-

क्र०	विवरण	समय-सीमा
1.	अनुज्ञापियों द्वारा आयोग के समक्ष प्रस्तुत ए0आर0आर0 एवं टैरिफ पीटिशन याचिकाओं को स्वीकार किये जाने की तिथि से टैरिफ आदेश निर्गत किया जाना।	120 दिवस
2.	आयोग द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 के अन्तर्गत गठित उपभोक्ता शिकायत निवारण मंचों के समक्ष प्राप्त शिकायतों का मंच द्वारा निस्तारण की समयावधि।	60 दिवस
3.	आयोग द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 के अन्तर्गत गठित विद्युत ऑम्बड्समैन द्वारा अपीलों के निस्तारण की समयावधि।	90 दिवस

(5) पर्यवेक्षण और जवाबदेही का चैनल :-

यह बिन्दु आयोग पर लागू नहीं होता है।